बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्याः—8/आ0 (राज0उ0)—2—10/2017................/श्री किशोर कुमार साह, प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण तथा चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल होने के कारण रोहतास जिला अन्तर्गत कछवा थानाक्षेत्र के दनवार गांव में जहंरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत होने की घटना घटित हुई है। अतएव कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव के आरोप में श्री साह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम—9 (1) (क) एवं (ग) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय—सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(अभय राज)
सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—8/आ0 (राज0उ0)—2—10/2017 पटना, दिनांकः—..............

प्रतिलिपिः—अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई—गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/—
सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—8/आ0 (राज0उ0)—2—10/2017 4435 पटना, दिनांकः—29.10.17

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, रोहतास/जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद—सह—निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, पटना/सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/राजपत्रित स्थापना प्रशाखा—5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री किशोर कुमार साह, प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(signature) 29/10/17
सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।